भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †676
सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

अनन्वेषित क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु प्राप्त प्रस्ताव

†676. श्री जी. सेल्वम:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगम को बढ़ाने में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने अनन्वेषित पर्यटन स्थलों की संभावनाओं की पहचान की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अनन्वेषित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विशेषकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कम उन्नत पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार के लिए चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को अनन्वेषित क्षेत्रों में पर्यटन के विकास और प्रचार के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) देश में पर्यटन की प्रचुर संभावना होने के बावजूद इसका विकास न हो पाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अवसंरचना, पर्यटन स्थलों और उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए धनराशि का आवंटन बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च): कोविड-19 महामारी से पर्यटन क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशों द्वारा लगाए गए व्यापक लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग में भारी गिरावट के साथ पर्यटन संवर्धन में अप्रत्याशित व्यवधान उत्पन्न हुआ। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में 74.9% की गिरावट आई, जो पर्यटन के लिए दर्ज किया गया सबसे बुरा वर्ष था। पर्यटन क्षेत्र में धीरे-धीरे बहाली हो रही है लेकिन अंशतः वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने संबंधी उपायों के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ आ रही है, जिससे पर्यटन सेवाओं की मांग प्रभावित हुई है।

पर्यटन की पहचान, विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है ताकि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन गंतव्यों की क्षमता का उपयोग कर सकें। तथापि, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्वदेश दर्शन, तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) और केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के साथ-साथ देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करता है।

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। इन प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति, परिचलनात्मक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पर्यटन मंत्रालय को 2400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से 1,939.22 करोड़ रुपये की राशि अवसंरचना विकास, 242.00 करोड़ रुपये की राशि संवर्धन और प्रचार, 105.00 करोड़ रुपये प्रशिक्षण तथा 5.27 करोड़ रुपये महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल प्रदान करने के लिए आवंटित किए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

अनन्वेषित क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 24.07.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †676 के भाग (क) से (च) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार सूची।

(करोड़ रुपये में)

		स्वदेश दर्शन			प्रशाद			कुल	
क्र सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत राशि**	**जारी की गई राशि**	**परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत राशि**	**जारी की गई राशि**	**स्वीकृत राशि**	**जारी की गई राशि**
1	आंध्र प्रदेश	3	141.53	141.53	3	124.89	70.85	266.42	212.38
2	अरुणाचल प्रदेश	2	146.49	139.16	1	37.88	7.34	184.37	146.5
3	असम	2	185.66	176.36	1	29.8	29.8	215.46	206.16
4	बिहार	5	262.73	248.06	2	45.81	36.14	308.54	284.2
5	छत्तीसगढ़	1	96.10	94.23	1	43.33	24.33	139.43	118.56
6	गोवा	2	197.00	192.11	0	0	0	197	192.11
7	गुजरात	3	176.22	165.74	5	205.53	113.48	381.75	279.22
8	हरियाणा	1	70.91	77.88	1	49.52	28.77	120.43	106.65
9	हिमाचल प्रदेश	1	68.34	64.55	0	0	0	68.34	64.55
10	जम्मू और कश्मीर	6	519.59	440.01	1	40.46	34.3	560.05	474.31
11	झारखंड	1	30.11	26.37	1	39.13	31.23	69.24	57.6
12	कर्नाटक	0	0	0	1	45.71	0	45.71	0
13	केरल	5	320.82	211.84	1	45.19	45.19	366.01	257.03
14	मध्य प्रदेश	4	349.70	337.63	2	93.92	48.79	443.62	386.42
15	महाराष्ट्र	2	73.02	50.15	1	52.92	27.67	125.94	77.82
16	मणिपुर	2	117.57	104.36	0	0	0	117.57	104.36
17	मेघालय	2	184.10	171.33	1	29.32	24.92	213.42	196.25
18	मिजोरम	2	158.63	141.79	1	44.88	0	203.51	141.79

19	नागालैंड	2	195.50	190.63	2	43.44	26.78	238.94	217.41
20	ओडिशा	1	70.82	67.28	1	50	10	120.82	77.28
21	पंजाब	1	94.51	67.14	2	37.97	13.66	132.48	80.8
22	राजस्थान	4	283.47	255.16	1	32.64	26.11	316.11	281.27
23	सिक्किम	2	193.37	187.96	1	33.32	28.3	226.69	216.26
24	तमिलनाडु	1	73.13	69.48	2	18.85	18.85	91.98	88.33
25	तेलंगाना	3	268.39	241.73	3	140.11	13.76	408.5	255.49
26	त्रिपुरा	2	127.68	91.67	1	37.8	21.18	165.48	112.85
27	उत्तर प्रदेश	8	488.22	445.08	6	132.42	110.82	620.64	555.9
28	उत्तराखंड	2	145.49	136.79	3	145.28	69.62	290.77	206.41
29	पश्चिम बंगाल	1	67.99	65.07	1	30.03	23.39	98.02	88.46
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	27.57	20.89	0	0	0	27.57	20.89
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुद्दुचेरी	3	142.84	135.08	0	0	0	142.84	135.08
	मार्गस्थ सुविधाएं	1	15.07	14.32	-	-	-	15.07	14.32
	कुल	**76**	**5292.57**	**4771.38**	**46**	**1630.15**	**885.28**	**6922.72**	**5656.66**

******